



Central Depository Services (India) Limited

Convenient ⊕ Dependable ⊕ Secure

COMMUNIQUÉ TO DEPOSITORY PARTICIPANTS

CDSL/OPS/DP/POLCY/2023/127

February 27, 2023

GAZETTE NOTIFICATION - UPDATES IN SECTION 35(1)(a) OF UAPA, 1967

Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide its communication dated February 24, 2023, has informed the depository regarding the following notification(s) issued in the Gazette of India:

Gazette Notifications in respect of 1 individual and 2 organisations, which have been declared as 'Terrorist and Terrorists Organisation' respectively and have been listed in the First and Fourth Schedule of the UA(P) Act, 1967 under Section 35(1)(a) and 2(1)(m) of the UA(P) Act 1967.

Gazette Notifications is attached as Annexure for your ready reference.

DPs are advised to take note of the above and ensure compliance.

Queries regarding this communiqué may be addressed to: CDSL – Helpdesk. Emails may be sent to: helpdesk@cdslindia.com and telephone numbers (022) 2305-8624, 2305-8639, 2305-8642, 2305-8663, 2305-8640, 2300-2041, 2300-2033 or 08069144800.

sd/-

Abhishek Mohanty

Manager – Surveillance



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022023-243692
CG-DL-E-17022023-243692

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 709]
No. 709]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2023/माघ 28, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2023/MAGHA 28, 1944

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली 17 फरवरी, 2023

का.आ. 739(अ).— विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने तथा आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) और उपधारा (2), केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यक्ति के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करता है यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है;

और, हरबिंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा, पुत्र चरन सिंह संधू, निवासी ग्राम सरहली, जिला-तरन तारन, पंजाब और ग्राम-रत्तोके, पुलिस स्टेशन चोहला साहिब, तरन तारन, पंजाब, जिसका संबंध ब्रबबर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) से है और जो वर्तमान में सीमापार एजेंसियों के संरक्षण में लाहौर, पाकिस्तान में रह रहा है;

और, ब्रबबर खालसा इंटरनेशनल उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के क्रम सं 1 पर आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है;

और, उक्त हरबिंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा का पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों से सीधा संबंध है और वह बड़ी मात्रा में सीमापार से हथियारों, गोला बारूद, उग्रवादी हार्डवेयर के अतिरिक्त नशीले पदार्थों की तस्करी में भी सम्मिलित है;

और, उक्त हरबिंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा कई आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित होने के अतिरिक्त पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिमी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में विभिन्न दांडिक अपराधों जैसे हत्या, हत्या का प्रयास, ठेके पर हत्या, डकैती, जबरन बसूली आदि में सम्मिलित रहा है;

1041 GI/2023

(1)

और, उक्त हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा के विरुद्ध रेड नोटिस सं. ए. 4612/6-2022 जारी किया गया है; और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा आतंकवाद में सम्मिलित है और, उक्त हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा को उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवादी के रूप में जोड़ा जाना है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 53 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"54. हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा।

[फा. सं. 11034/09/2022/सीटी-1]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 105(अ) तारीख 9 जनवरी, 2023 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2023.

S.O. 739(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Harwinder Singh Sandhu @Rinda, son of Charan Singh Sandhu, resident of Village- Sarhali, District-Tarn Taran, Punjab and Village- Rattoke, Police Station-Chohla Sahib, Tarn Taran, Punjab, is associated with Babbar Khalsa International(BKI) and is presently based in Lahore, Pakistan under the patronage of cross border agencies;

And whereas, Babbar Khalsa International is listed as a terrorist organisation at serial No. 1 of the First Schedule to the said Act;

And whereas, the said Harwinder Singh Sandhu @Rinda has direct links with Pakistan based terrorist groups and is also involved in cross border smuggling of arms, ammunition, militant hardware besides drugs in large scale;

And whereas, the said Harwinder Singh Sandhu @Rinda remained involved in various criminal offences like murder, attempt to murder, contract killing, robbery, extortion, etc. in the States of Punjab, Maharashtra, Haryana, West Bengal, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh besides being involved in several terrorist activities;

And whereas, Red Notice No., A-4612/6-2022 has been issued against Harwinder Singh sandhu @Rinda;

And whereas, the Central Government believes that Harwinder Singh Sandhu @Rinda is involved in terrorism and the said Harwinder Singh Sandhu @Rinda is to be added as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 53 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"54. Harwinder Singh Sandhu @Rinda".

[F. No. 11034/09/2022/CT-1]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note : The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O. 105 (E), dated the 9th January, 2023.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022023-243693
CG-DL-E-17022023-243693

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7171
No. 7171

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2023/भाष 28, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2023/MAGHA 28, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 17 फरवरी, 2023

का.आ. 747(ब).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) अधिनियमों और संगठनों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण और आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने लिए और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड) के अनुसार "आतंकवादी संगठन" से उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध संगठन या इस प्रकार सूचीबद्ध संगठन के रूप में सामान नाम के अधीन क्रियाशील संगठन अभिप्रेत है;

और, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में इस प्रकार के आतंकवादी संगठनों की सूची अंतर्विष्ट है ;

और, "खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ)", इस अधिनियम के अधीन विहित आतंकवादी संगठन बन्बर खालसा इंटरनेशनल की शाखा के रूप में वर्ष 2011 में अस्तित्व में आया था;

और, "खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ)" एक उग्रवादी ऑटफिट है और उसका उद्देश्य पृथक् "खालिस्तान" राज्य की त्रिनिर्मिती के उसके एजेंडे को प्राप्त करने की दृष्टि से पंजाब में आतंकवाद को पुनर्जीवित करना है और इस प्रकार भारत की राज्यक्षेत्रीय अखंडता, एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को चुनौती देना है;

और, "खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ)" आतंकवादी क्रियाकलापों की अभिवृद्धि करता है और अन्वेषण अभिकरणों ने लक्षित हत्याओं सहित आतंकवाद के विभिन्न मामलों में उसके काइर की संलिप्तता पाई है;

1051 GI/2023

(1)

और, भारत में "खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ)" के सदस्य उनके विदेश आधारित संचालकों से उन्नत हथियारों सहित वित्तीय और रसद सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

और, "खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ)" का वर्तमान प्रचालन प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर उक्त अधिनियम के अधीन "आतंकवादी" के रूप में अभिहित किया गया है;

और, अन्वेषण अभिकरणों ने विभिन्न आतंकवादी मामलों और प्रमुख व्यक्तियों की हत्याओं में "खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ)" के काइरों की संलिप्तता पाई है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि "खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ)" आतंकवाद में संलिप्त है और उसने भारत में आतंकवाद के विभिन्न कृत्यों में भाग लिया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में क्रम संख्यांक 43 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"44. खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) और उसके सभी रूप और फ्रंट संगठन"।

[फा. सं. 11034/07/2022/सीटी-1]

प्रदीप वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 738 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2023 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2023.

S.O. 747(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, as per clause (m) of sub-section (1) of section 2 of the said Act, 'terrorist organisation' means an organisation listed in the First Schedule to the said Act or an organisation operating under the same name as an organisation so listed;

And whereas, the First Schedule to the said Act contains the list of such terrorist organisations;

And whereas, the 'Khalistan Tiger Force (KTF)' came into existence in the year 2011 as an offshoot of Babbar Khalsa International, a proscribed terrorist organisation under the said Act;

And whereas, 'Khalistan Tiger Force (KTF)' is a militant outfit and it aims reviving terrorism in Punjab with a view to achieve its agenda of formation of a separate state 'Khalistan' and thereby challenges the territorial integrity, unity, national security and sovereignty of India;

And whereas, the 'Khalistan Tiger Force (KTF)' promotes acts of terrorism and the investigation agencies have found involvement of its cadres in various terrorist cases, including targeted killings;

And whereas, the members of the 'Khalistan Tiger Force (KTF)' in India are receiving financial and logistics support including sophisticated weaponry from their foreign based handlers;

And whereas, Hardeep Singh Nijjar, the current Operational Chief of Khalistan Tiger Force has been designated as 'Terrorist' under the said Act;

And whereas, the investigation agencies have found involvement of cadres of Khalistan Tiger Force in various terrorist cases and assassination of prominent persons;

And whereas, the Central Government believes that the 'Khalistan Tiger Force' is involved in terrorism and it has committed and participated in various acts of terrorism in India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely:-

In the First Schedule to the said Act, after serial number 43 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"44. Khalistan Tiger Force (KTF) and all its manifestations and front organisations."

[F. No. 11034/07/2022/CT-1]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note : The First Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O.738(E), dated the 17th February, 2023.


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022023-243691
CG-DL-E-17022023-243691

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 708|
No. 708|

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2023/माघ 28, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2023/MAGHA 28, 1944

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली 17 फरवरी, 2023

का.आ. 738(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण तथा आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने के लिए और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड) के अनुसार, 'आतंकवादी संगठन' से उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध संगठन या इस प्रकार से सूचीबद्ध संगठन के रूप में समान नाम के अधीन क्रियाशील संगठन अभिप्रेत है;

और, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में इस प्रकार के आतंकवादी संगठनों की सूची अंतर्विष्ट है;

और, 'जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स (जेकेजीएफ)' वर्ष 2020 में एक आतंकवादी संगठन के रूप में सामने आया और यह लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, तहरीक-उल-मुजाहिदीन, हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी आदि जैसे विभिन्न प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से अपने काइरों को बनाता है;

और, जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स (जेकेजीएफ), संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ की कोशिशों, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी और आतंकवादी हमलों को अंजाम देने में शामिल है;

और, जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स (जेकेजीएफ) नियमित रूप से भारतीय सुरक्षा बलों को धमकियां देता है और संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर के लोगों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग कर भारत के खिलाफ आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए, उकसाता है;

और, जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स (जेकेजीएफ) की गतिविधियां भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक है;

1040 GI/2023

और, केंद्रीय सरकार का यह विश्वास है कि जम्मू और कश्मीर गजतवी फोर्स (जेकेजीएफ) आतंकवाद में संलग्न है और यह भारत में आतंकवाद के विभिन्न कृत्यों में भाग लेता रहता है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में क्रम संख्यांक 42 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"43. जम्मू और कश्मीर गजतवी फोर्स (जेकेजीएफ) और इसके सभी रूप और फ्रंट संगठन।"

[फा. सं. 11034/16/2022-सीटी-1]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 85 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2023 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2023.

S.O. 738(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, as per clause (m) of sub-section (1) of section 2 of the said Act, 'terrorist organisation' means an organisation listed in the First Schedule to the said Act or an organisation operating under the same name as an organisation so listed;

And whereas, the First Schedule to the said Act contains the list of such terrorist organisations;

And whereas, 'Jammu and Kashmir Ghaznavi Force (JKGF)' surfaced in the year 2020 as a terrorist outfit and it draws its cadres from various proscribed terrorist organisations, such as Lashker-E-Taiba, Jaish-E-Mohammed, Tehreek-ul-Mujahideen, Harkat-ul—Jihad-E-Islami, etc.;

And whereas, the 'Jammu and Kashmir Ghaznavi Force (JKGF)' is involved in infiltration bids, narcotics and weapon smuggling and carrying out terror attacks in the Union territory of Jammu and Kashmir;

And whereas, the 'Jammu and Kashmir Ghaznavi Force (JKGF)' regularly issues threats to Indian Security Forces and uses various social media platforms for inciting people of Union territory of Jammu and Kashmir to join terrorist outfits against India;

And whereas, the activities of 'Jammu and Kashmir Ghaznavi Force (JKGF)' are detrimental to the national security and sovereignty of India;

And whereas, Central Government believes that the 'Jammu and Kashmir Ghaznavi Force (JKGF)' is involved in terrorism and it has committed and participated in various acts of terrorism in India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely:-

In the First Schedule to the said Act, after serial number 42 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"43. Jammu and Kashmir Ghaznavi Force (JKGF) and all its manifestations and front organisations."

[F. No. 11034/16/2022/CT-1]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note : The First Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended *vide* the notification number S.O. 85 (E), dated the 6th January, 2023.